By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-1

Topic – Process of Constitutional Amendment.

Class – B.A. Degree -II (Hons. P-III)

Subject – Political science

Date – 13 Oct., 2020

By Rahul kumar Jha.

संविधान संशोधन की प्रक्रिया :-

संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध है। उसके अनुसार संसद संघ की संविधायी शक्ति का भंडार है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है-

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन :- संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद है, जिन्हे संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है और संसद द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसलिए राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने, राज्यों के क्षेत्र को कम करने या वृद्धि

करने, राज्यों में विधान परिषदों को गठित करने या समाप्त करने, अनुसूची 2 में, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने आदि के लिए किये जाने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं।

2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन :- संसद के विशेष बहुमत द्वारा किये जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार के संविधान संशोधन करने के लिए सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। इस प्रकार पेश विधेयक को सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित किये जाने वाले विधेयक को दूसरे सदन को भेजा जाना चाहिए। जब दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कर दे, तब उसे राष्ट्रपति की सहमति

के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करने पर विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवर्तित हो जाता है।

3. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन :— कुछ ऐसे विषय है, जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन होना चाहिए जैसे- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल तथा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के गठन तथा क्षेत्राधिकार, सातवी सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन आदि।

उक्त का संशोधन के लिए दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के बाद इसे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित करने के लिए भेजा जाता है। आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक अधिनियम के रूप मे प्रवर्तित हो जाता है।